



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112022-240190
CG-DL-E-10112022-240190

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5022]
No. 5022]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2022/कार्तिक 19, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2022/KARTIKA 19, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2022

सं. 93/2022-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 5241(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै. टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, जिसे का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी-1, सारणी-2 और सारणी-3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ प्रतिस्थापित की जाएँगी, अर्थात्:—

"सारणी-1

| क्रम. सं. | अध्याय/शीर्ष/उपशीर्ष/ टैरिफ मद | माल का विवरण | टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन) |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 1511 10 00 | कच्चा पॉम ऑयल | 952 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं) |
| 2 | 1511 90 10 | आर बी डी पॉम ऑयल | 962 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं) |
| 3 | 1511 90 90 | अन्य पॉम ऑयल | 957 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं) |
| 4 | 1511 10 00 | कच्चा पामोलिन | 968 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं) |
| 5 | 1511 90 20 | आर बी डी पामोलीन | 971 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं) |
| 6 | 1511 90 90 | अन्य पामोलीन | 970 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं) |
| 7 | 1507 10 00 | सोयाबीन का कच्चा तेल | 1345 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं) |
| 8 | 7404 00 22 | पीतल स्क्रैप (सभी ग्रेड) | 4518 (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं) |

सारणी-2

| क्रम. सं. | अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद | माल का विवरण | टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर) |
|-----------|---------------------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 71 या 98 | स्वर्ण, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविष्टि संख्या 356 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो | 531 प्रति 10 ग्राम (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं) |
| 2 | 71 या 98 | रजत, किसी भी रूप में, जिसके सम्बन्ध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30.06.2017 की प्रविष्टि संख्या 357 के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया गया हो | 698 प्रति किलोग्राम |
| 3 | 71 | (i) रजत, पदकीय या रजत सिक्कों से भिन्न किसी भी रूप में, जिसकी रजत अंतर्वस्तु 99.9 प्रतिशत से कम नहीं है या उपशीर्ष 7106 92 के अधीन आने वाले रजत के अर्ध विनिर्मित प्ररूप; (ii) पदकीय या रजत सिक्के, जिसकी रजत अंतर्वस्तु 99.9 प्रतिशत से कम नहीं है या डाक, कुरियर या सामान के माध्यम से ऐसे माल के आयात से भिन्न उपशीर्ष 7106 92 के अधीन आने वाले रजत के अर्ध विनिर्मित प्ररूप। स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, किसी भी प्ररूप में रजत के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के सिक्के, रजत से बने आभूषण या रजत से बनी वस्तुएं नहीं हैं। | 698 प्रति किलोग्राम |
| 4 | 71 | (i) स्वर्ण बार, तोला बार से भिन्न, जिस पर विनिर्माणकर्ता या रियाइनर का खुदा हुआ क्रम संख्यांक और मिट्रिक यूनितों में भार अभिव्यक्त है; (ii) स्वर्ण सिक्के, जिसमें 99.5 प्रतिशत से अन्यून स्वर्ण है, और स्वर्ण प्राप्ति, डाक, कुरियर या बैगेज के माध्यम से ऐसे माल के आयात से भिन्न। | 531 प्रति 10 ग्राम (अर्थात कोई परिवर्तन नहीं) |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, "स्वर्ण प्रासियां" से कोई छोटा संघटक, जैसे हुक, क्लास्प, क्लैप, पिन, कैच, स्कू बैक, जिसका उपयोग पूर्ण आभूषण या उसके किसी भाग को स्थान में जोड़े रखने के लिए किया जाता है, अभिप्रेत है। | |
|--|--|--|--|

सारणी-3

| क्रम. सं. | अध्याय/शीर्ष/ उपशीर्ष/ टैरिफ मद | माल का विवरण | टैरिफ मूल्य (अमरीकी डालर प्रति मीट्रिक टन) |
|-----------|---------------------------------|--------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 080280 | सुपारी | 7333 (अर्थात् कोई परिवर्तन नहीं)" |

2. यह अधिसूचना 11 नवंबर, 2022 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 467/01/2022-सीमा शुल्क.V]

हरीश कुमार, अवर सचिव

नोट:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. 36/2001-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 3 अगस्त, 2001, का.आ. 748 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी, तथा यह अंतिम बार अधिसूचना सं. 91/2022-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 31 अक्टूबर 2022, जिसे का.आ. 5078 (अ) दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में ई-प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th November, 2022

No. 93/2022-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 5241(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes & Customs, being satisfied that it is necessary and expedient to do so, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 36/2001-Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S. O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001, namely:—

In the said notification, for TABLE-1, TABLE-2, and TABLE-3 the following Tables shall be substituted, namely:—

“TABLE-1

| Sl. No. | Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item | Description of goods | Tariff value (US \$Per Metric Tonne) |
|---------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 1511 10 00 | Crude Palm Oil | 952 (i.e., no change) |
| 2 | 1511 90 10 | RBD Palm Oil | 962 (i.e., no change) |
| 3 | 1511 90 90 | Others – Palm Oil | 957 (i.e., no change) |
| 4 | 1511 10 00 | Crude Palmolein | 968 (i.e., no change) |
| 5 | 1511 90 20 | RBD Palmolein | 971 (i.e., no change) |
| 6 | 1511 90 90 | Others – Palmolein | 970 (i.e., no change) |
| 7 | 1507 10 00 | Crude Soya bean Oil | 1345 (i.e., no change) |
| 8 | 7404 00 22 | Brass Scrap (all grades) | 4518 (i.e., no change) |

TABLE-2

| Sl. No. | Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item | Description of goods | Tariff value (US \$) |
|---------|---|---|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 71 or 98 | Gold, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 356 of the Notification No. 50/2017-Customs dated 30.06.2017 is availed | 531 per 10 grams (i.e., no change) |
| 2. | 71 or 98 | Silver, in any form, in respect of which the benefit of entries at serial number 357 of the Notification No. 50/2017-Customs dated 30.06.2017 is availed | 698 per kilogram |
| 3. | 71 | (i) Silver, in any form, other than medallions and silver coins having silver content not below 99.9% or semi-manufactured forms of silver falling under sub-heading 7106 92; (ii) Medallions and silver coins having silver content not below 99.9% or semi-manufactured forms of silver falling under sub-heading 7106 92, other than imports of such goods through post, courier or baggage. Explanation. - For the purposes of this entry, silver in any form shall not include foreign currency coins, jewellery made of silver or articles made of silver. | 698 per kilogram |
| 4. | 71 | (i) Gold bars, other than tola bars, bearing manufacturer's or refiner's engraved serial number and weight expressed in metric units; (ii) Gold coins having gold content not below 99.5% and gold findings, other than imports of such goods through post, courier or baggage. Explanation. - For the purposes of this entry, "gold findings" means a small component such as hook, clasp, clamp, pin, catch, screw back used to hold the whole or a part of a piece of Jewellery in place. | 531 per 10 grams (i.e., no change) |

TABLE-3

| Sl. No. | Chapter/ heading/ sub-heading/tariff item | Description of goods | Tariff value (US \$ Per Metric Tonne) |
|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 080280 | Areca nuts | 7333 (i.e., no change)" |

2. This notification shall come into force with effect from the 11th day of November, 2022.

[F. No. 467/01/2022-Cus.V]

HARISH KUMAR, Under Secy.

Note: - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide Notification No. 36/2001–Customs (N.T.), dated the 3rd August, 2001, vide number S. O. 748 (E), dated the 3rd August, 2001 and was last amended vide Notification No. 91/2022-Customs (N.T.), dated the 31st October, 2022, e-published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S.O. 5078(E), dated 31st October, 2022.